GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 640
(TO BE ANSWERED ON 20.07.2022)

RESERVATION IN PROMOTION TO SCs/STs

640. SHRI RAVIKUMAR D.:

Will the **PRIME MINISTER** be pleased to state:

(a) whether the Government has taken steps to implement the Supreme Courts verdict on Reservation in Promotion to SCs and STs and if so, the details thereof;
(b) whether the Government has taken any initiative to find out the backlog vacancies meant for SCs and STs in Union Government Departments and if so, the details thereof;
(c) whether the Government intends to implement 'Reservation in Private Sector'; and
(d) if so, the details thereof including the position of Government in this regard?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a): In pursuance of Hon'ble Supreme Court judgment dated 28.1.2022 in the matter of *Jarnail Singh and Ors. V.LachhmiNarain Gupta and Ors.*, Department of Personnel and Training has issued an Office Memorandum No.36012/16/2019-Estt(Res) dated 12.04.2022, advising all the Ministries/Departments of the Central Government to comply with certain conditions before implementing the policy of reservation in promotion which, *inter alia*, include collection of quantifiable data regarding inadequacy of representation of Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) and application of this data to each cadre separately.

(b): DoPT collects data regarding backlog reserved vacancies of SCs and STs from 10 Ministries/Departments, having more than 90% of the employees in Central Government and monitors the progress with regard to filling up of these backlog reserved vacancies. The data on backlog reserved vacancies in the above 10 Ministries and Departments as on 1.1.2021 is at Annexure.

(c) & (d): Achieving progress on the issue of affirmative action, is through voluntary action by the industry itself. Industry representatives are also of the view that reservation is not a solution but they are willing to partner with the Government and appropriate agencies in enhancing and expanding the current recruitment policy for the marginalized section, especially the SC and ST at all levels, as also to encourage skill development and training.

Accordingly, the Apex Industry Associations have prepared Voluntary Code of Conduct (VCC) for their member companies centered around education, employability, entrepreneurship and employment to achieve inclusion. Measures undertaken by the member of industry Associations, inter-alia, includes scholarships, vocation training, entrepreneurship development programmes and coaching etc.

******

https://www.staffnews.in

ANNEXURE

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (b) OF THE LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 640 FOR ANSWER ON 20.7.2022 BY SHRI RAVIKUMAR D REGARDING RESERVATION IN PROMOTION TO SCs/STs

DATA ON BACKLOG RESERVED VACANCIES AS ON 31.12.2020 (01.01.2021)							
Category-wise details of backlog vacancies , vacancies filled up and unfilled vacancies							
S. No	Ministry/ Department	SC			ST		
		Vacancies	Filled up	unfilled	Vacancies	Filled up	unfilled
1	Defence Production	8847	6976	1871	7574	5880	1694
2	Railways	6940	3582	4445	6055	2288	4405
3	Financial Services	968	294	674	1166	486	677
4	Posts	1452	408	1044	864	197	667
5	Defence	1848	45	1803	1189	22	1167
6	Housing & Urban Affairs	147	81	66	94	51	43
7	Home Affairs	6393	1108	4450	3524	466	2821
8	Atomic Energy	137	21	116	149	16	133
9	Revenue	3239	477	2762	2142	142	2000
10	Education	1111	210	901	923	71	852

https://www.staffnews.in

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 640

(दिनांक 20.07.2022 को उत्तर के लिए)

अजा/अजजा के लिए पदोन्नति में आरक्षण

640. डॉ. डी. रविकुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति में आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के विभागों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए बकाया रिक्तियों का पता लगाने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इरादा 'निजी क्षेत्र में आरक्षण' को लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या स्थिति है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क): जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 28.01.2022 के निर्णय के अनुसरण में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 12.04.2022 को कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/16/2019 –स्था. (आरक्षण) जारी किया है, जिसमें केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को पदोन्नति में आरक्षण की नीति लागू करने से पूर्व कुछ शर्तों के पालन करने की सलाह दी गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जाति (अजा) एवं अनुसूचित जनजाति (अजजा) के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता से संबंधित परिमाणात्मक आंकड़ों को एकत्रित करने तथा इन आंकड़ों को प्रत्येक संवर्ग में पृथक रूप से लागू करना शामिल है।

(ख): कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग केन्द्र सरकार में 90% से अधिक कर्मचारियों वाले 10 मंत्रालयों/विभागों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों के संबंध में आंकड़े एकत्र करता है तथा इन बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को भरने के संबंध में की गई प्रगति की निगरानी करता है। दिनांक 01.01.2021 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त 10 मंत्रालयों और विभागों में बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों से संबंधित आंकड़े संलग्नक में दिए गए हैं।

(ग) और (घ): सकारात्मक कार्रवाई के मुद्दे पर प्रगति उद्योग द्वारा स्वयं की गई स्वैच्छिक कार्रवाई के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। उद्योग के प्रतिनिधियों का भी यही मानना है कि आरक्षण कोई हल नहीं है परंतु वे सभी स्तरों पर कमजोर वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए वर्तमान भर्ती नीति को बढ़ाने और उसका विस्तार करने और साथ ही कौशल विकास और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार एवं समुचित एजेंसियों के साथ भागीदार बनने के लिए तैयार हैं।

तदनुसार, शीर्ष उद्योग संघ ने अपनी सदस्य कंपनियों के लिए वॉलंटरी कोड ऑफ कंडेक्ट (वीसीसी) तैयार किया है जिसमें समावेशिता को प्राप्त करने के लिए इसे शिक्षा, नियोजनीयता, उद्यमिता और रोजगार केन्द्रित बनाया गया है। उद्योग संघ के सदस्य द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ छात्रवृत्तियां, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम और कोचिंग आदि शामिल है।

https://www.staffnews.in

संलग्नक

अजा/अजजा के लिए पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में डॉ. डी. रविकुमार द्वारा पूछे गए दिनांक 20.07.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 640 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित संलग्नक

31.12.2020 (01.01.2021) को बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों के संबंध में आंकड़े							
बैकलॉग रिक्तियों, भरी गई रिक्तियों और नहीं भरी गई रिक्तियों का श्रेणी-वार ब्यौरा							
क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अ.जा.			अ.ज.जा.		
		रिक्तियां	भरी हुई	नहीं भरी गई रिक्तियां	भरी हुई	रिक्तियां	नहीं भरी गई रिक्तियां
1	रक्षा उत्पादन	8847	6976	1871	7574	5880	1694
2	रेलवे	6940	3582	4445	6055	2288	4405
3	वित्तीय सेवाएँ	968	294	674	1166	486	677
4	डाक	1452	408	1044	864	197	667
5	रक्षा	1848	45	1803	1189	22	1167
6	आवासन और शहरी कार्य	147	81	66	94	51	43
7	गृह मंत्रालय	6393	1108	4450	3524	466	2821
8	परमाणु ऊर्जा	137	21	116	149	16	133
9	राजस्व	3239	477	2762	2142	142	2000
10	शिक्षा	1111	210	901	923	71	852

******

https://www.staffnews.in